भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 2076
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा

2076. **डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष के अंत में भारत आने वाले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) चर्चा के लिए कार्य सूची का ब्यौरा क्या है और रूसी सरकार के साथ कौन से द्विपक्षीय समझौते किए जाएंगे?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क और ख) रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 04-05 दिसंबर 2025 को भारत की राजकीय यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय संबंध,जो घनिष्ठ और बहुआयामी हैं, के सभी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।

वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी और भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ भारत-रूस व्यापार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने संबोधित किया।

दोनों पक्षों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य, और इस यात्रा के परिणामों की सूची, जिसमें हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और करार और की गई घोषणाएँ शामिल हैं, अनुबंध-I पर संलग्न है।

अनुबंध-I

<u>23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य (05 दिसंबर, 2025)</u>

भारत-रूसः विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रगतिशील साझेदारी।

1. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 04-05 दिसंबर, 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे।

2. दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इस वर्ष भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी घोषणा की 25वीं वर्षगांठ है। जो यह साझेदारी महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर 2000 में भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान स्थापित हुई थी।

3. दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे इस संबंध की विशेष प्रकृति पर जोर दिया, जो आपसी विश्वास, एक-दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के प्रति सम्मान और रणनीतिक सहभागिता पर आधारित है। उन्होंने जोर दिया कि साझा जिम्मेदारियों वाली प्रमुख शक्तियों के रूप में, यह महत्वपूर्ण संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता का वाहक बना हुआ है जिसे समान और अखंड सुरक्षा के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. दोनों नेताओं ने बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-रूस संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया जिसका विस्तार राजनीतिक और रणनीतिक, सैन्य एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक, शिक्षा और मानवीय सहयोग सहित सहयोग के सभी क्षेत्रों में है। इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि दोनों पक्ष पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाते हुए सक्रिय रूप से सहयोग के नए अवसर तलाश रहे हैं।

5. दोनों नेताओं ने रेखांकित किया कि मौजूदा जटिल, चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में भारत-रूस संबंध सुदृढ़ बने हुए हैं। दोनों पक्षों ने समकालीन, संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभदायक, सतत और दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों का विकास साझा विदेश नीति की प्राथमिकता है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की।

6. दोनों नेताओं ने येकैटरिनबर्ग और कजान में भारत के दो कोंसलावासों की स्थापना का स्वागत किया और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों और लोगों के पारस्परिक रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए उनके शीघ्र संचालन की आशा की।

7. राजनेताओं ने पिछले शिखर सम्मेलन के बाद से सभी स्तरों पर संपर्कों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान उनके बीच हुई बैठकें; भारत के विदेश मंत्री और रूस के प्रथम उप प्रधान मंत्री की सह-अध्यक्षता में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) के 26वें सत्र और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में अंतर-सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) संबंधी आईआरआईजीसी के 22वें सत्र का आयोजन; भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह राज्य मंत्री, रक्षा, खेल एवं युवा मामले , वस्त्र और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की यात्राएं ; रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष, प्रथम उप प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, ऊर्जा मंत्री, संस्कृति मंत्री की यात्राएँ; और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर रणनीतिक संवाद, विदेश कार्यालय परामर्श, संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर परामर्श, आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आदि का आयोजन शामिल हैं।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी

8. दोनों नेताओं ने संतुलित और सतत तरीके से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की, जिसमें रूस को भारत का निर्यात बढ़ाना, औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाना, विशेष रूप से उन्नत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी और निवेश साझेदारी को आगे बढ़ाना और सहयोग के नए अवसर और क्षेत्र तलाशना शामिल हैं।

9. दोनों नेताओं ने 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम (कार्यक्रम 2030) को अंगीकृत करने का स्वागत किया।

10. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने वाले भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच वस्तुओं के संबंध में से संबंधित मुक्त व्यापार करार के संबंध में जारी संयुक्त कार्य को तेज करने की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों पक्षों को निवेश के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में पारस्परिक रूप से लाभकारी करार पर वार्ता हेतु प्रयासों को तेज करने का भी निर्देश दिया।

11. दोनों नेताओं ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 25वें एवं 26वें सत्रों तथा क्रमशः नई दिल्ली (नवंबर 2024) और मॉस्को (अगस्त 2025) में आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच के परिणामों का स्वागत किया।

12. दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन को केन्द्र में रखते हुए एक खुली, समावेशी, पारदर्शी और पक्षपात रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हैं। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करना, संभार तंत्र में व्यवस्थाओं को दूर करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, सुचारू भुगतान तंत्र सुनिश्चित करना, बीमा और पुनर्बीमा के मुद्दों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना तथा दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नियमित वार्ता करना उन महत्वपूर्ण घटकों में शामिल हैं जो और साथ ही 2030 तक 100 अरब यूएसडी के संशोधित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

13. रूस और भारत द्विपक्षीय व्यापार को निर्बाध बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग के माध्यम से द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की संयुक्त रूप से विकसित प्रणालियों को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों, वित्तीय संदेश प्रणालियों तथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्मों की अंतर-संचालनीयता को सक्षम बनाने के लिए परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।

14. दोनों पक्षों ने भारत को उर्वरकों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत किया और इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभावित स्थापना पर चर्चा की।

15. दोनों पक्षों ने कुशल कामगारों की आवाजाही से संबंधित करारों पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया।

16. रूसी पक्ष ने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (जून 2025) और पूर्वी आर्थिक मंच (सितंबर 2025) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन आर्थिक मंचों के अवसर पर आयोजित भारत-रूस व्यापार वार्ता के योगदान का उल्लेख किया।

17. दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं की विश्वसनीयता के लिए ऊर्जा स्रोतों, कीमती पत्थरों और धातुओं तथामहत्वपूर्ण कच्चे माल सहित खनिज संसाधनों में उत्पादक और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार के महत्व को नोट किया है। इस क्षेत्र में कारगर सहयोग, जो रूस और भारत द्वारा संप्रभु देशों के रूप में किया जाता है, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है।

<u>ऊर्जा साझेदारी</u>

18. दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में अपने व्यापक सहयोग पर चर्चा की और इसे विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार बताया। दोनों पक्षों ने तेल और तेल उत्पादों, तेल शोधन एवं पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकियों, तेल क्षेत्र सेवाओं और अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकियों एवं संबंधित अवसंरचना, एलएनजी और एलपीजी से संबंधित अवसंरचना, अपने-अपने देशों में विभिन्न मौजूदा परियोजनाओं, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी, परमाणु परियोजनाओं आदि जैसे क्षेत्रों में भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच वर्तमान और संभावित सहयोग को नोट किया। उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के महत्व पर भी ध्यान दिया और ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेशकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की।

<u>परिवहन और संपर्कता</u>

19. दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक (पूर्वी सामुद्रिक) कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग का समर्थन करने के लिए संपर्कता में सुधार और अवसंरचना क्षमता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स लिंक के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थिर और कुशल परिवहन कॉरिडोर के निर्माण में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने ध्रुवीय जल में प्रचालन करने वाले पोतों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

20. दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करने के उद्देश्य से रूस और भारत के रेलवे के बीच उपयोगी सहयोग किया है।

<u>सुदूर पूर्व रूस और आर्कटिक में सहयोग</u>

21. दोनों पक्षों ने रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने की अपनी तत्परता हेतु पुष्टि की है। वर्ष 2024-2029 की अवधि के लिए सुदूर पूर्व रूसमें व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग का कार्यक्रम भारत और सुदूर पूर्व रूस क्षेत्र के बीच विशेष रूप से कृषि, ऊर्जा, खनन, श्रमशक्ति, हीरे, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री परिवहन आदि के क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करता है।

22. दोनों पक्षों ने आर्कटिक से संबंधित मुद्दों पर नियमित द्विपक्षीय परामर्श आयोजित करने के महत्व को रेखांकित किया और उत्तरी समुद्री मार्ग पर बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति पर सहमत हुए है। रूसी पक्ष ने मार्च 2025 में मुरमांक में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी की सराहना की है। भारतीय पक्ष ने आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।

सिविल परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग

23. दोनों पक्षों ने ईंधन चक्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केकेएनपीपी) और गैर-विद्युत अनुप्रयोगों के संचालन के लिए जीवन चक्र समर्थन सहित परमाणु ऊर्जा और संबंधित उच्च प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में बातचीत के नए एजेंडे को विस्तृत करने के अपने इरादे की पुष्टि की है। दोनों पक्षकारों ने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सामरिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के महत्व पर ध्यान दिया।

24. दोनों पक्षों ने शेष एनपीपी इकाइयों के निर्माण सहित केकेएनपीपी के कार्यान्वयन में प्राप्त की गई प्रगति पर सहमति व्यक्त की है तथा उपकरणों और ईंधन की आपूर्ति के लिए समय सीमा का अनुपालन करने पर सहमति व्यक्त की है।

25. दोनों पक्षों ने एनपीपी के लिए भारत में दूसरी साइट पर आगे की चर्चा के महत्व पर ध्यान दिया; भारतीय पक्ष पहले हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार दूसरी साइट के औपचारिक आवंटन को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा।

26. दोनों पक्षों ने रूसी डिजाइन के वीवीईआर, एनपीपीएस के अनुसंधान और संयुक्त विकास, परमाणु उपकरणों के स्थानीयकरण और संयुक्त विनिर्माण तथा रूसी डिजाइन की गई बड़ी क्षमता वाले एनपीपीएस के लिए ईंधन जुटाने के वीवीईआर पर तकनीकी और वाणिज्यिक चर्चाओं में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है।

27. अंतरिक्ष में सहयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, उपग्रह नेविगेशन और ग्रहों की खोज सहित शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूसी राष्ट्र अंतरिक्ष निगम "रोस्कोसमोस"के बीच बढ़ी हुई साझेदारी का स्वागत किया है। उन्होंने रॉकेट इंजन विकास, उत्पादन और उपयोग में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग में प्रगति पर ध्यान दिया है।

सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग

28. सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पारंपरिक रूप से भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक स्तंभ रहा है, जो आईआरआईजीसी-एम एंड एमटीसी द्वारा संचालित कई दशकों के संयुक्त प्रयासों और फलदायी सहयोग के माध्यम से बढ़ा है।

29. दोनों ओर के नेताओं ने 4 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आईआरआईजीसी-एम एंड एमटीसी के 22वें सत्र के परिणामों का स्वागत किया। आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज का जवाब देते हुए, साझेदारी वर्तमान में संयुक्त अनुसंधान और विकास, सह-विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के सह-उत्पादन के लिए फिर से उन्मुख हो रही है।

30. दोनों ओर के नेताओं ने एससीओ सदस्य-राज्यों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर जून 2025 में किंग्दाओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक सहित नियमित सैन्य संपर्कों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने सशस्त्र बलों के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र की सराहना की और संयुक्त सैन्य सहयोग गतिविधियों की गति को बनाए रखने और सैन्य प्रतिनिधिमंडल आदान-प्रदान का विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

31. दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना के माध्यम से मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एग्रीगेट और अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की है।

<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग</u>

32. दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने में सहमति दी है।

33. उभरती प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी की खोज, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने में रुचि व्यक्त की है।

34. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में संयुक्त अनुसंधान के महत्व पर जोर देते हुए, दोनों पक्षों ने "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के लिए रोडमैप"के तहत सहयोग को मजबूत करने में सहमति दी है। दोनों नेताओं ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकियों के सह-विकास सहित नवीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दोनों देशों के स्टार्ट-अप और एसएमई के लिए अवसरों का दोहन करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने सूचना सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन से संबंधित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को और विकसित करने में अपनी रुचि की पुष्टि की है। दोनों पक्षों ने ज्ञान आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और नवोन्मेषकों और उद्यमियों के अधिक जुड़ाव को सक्षम करने के लिए स्टार्ट-अप के लिए सोफ्ट सपोर्ट कार्यक्रमों को डिजाइन और लागू करने पर सहमति व्यक्त की है।

35. विज्ञान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बातचीत के मौजूदा समृद्ध अनुभव को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने शैक्षणिक गतिशीलता, शैक्षिक कार्यक्रमों, वैज्ञानिक और अनुसंधान परियोजनाओं के विभिन्न रूपों के कार्यान्वयन और विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों के आयोजन सहित शैक्षिक और वैज्ञानिक संगठनों के बीच भागीदार संबंधों को विकसित करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों में संयुक्त अनुसंधान के महत्व पर बल देते हुए, दोनों पक्षों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों में भारतीय-रूसी सहयोग के लिए रोडमैप के ढांचे के भीतर सहयोग का विस्तार करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की है।

<u>सांस्कृतिक सहयोग, पर्यटन और पारस्परिक आदान-प्रदान</u>

36. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सांस्कृतिक बातचीत और पारस्परिक का आदान-प्रदान भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने दोनों देशों में आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंचों, पुस्तक मेलों, त्योहारों और कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सराहना की और भारतीय और रूसी संस्कृति के पूर्ण प्रदर्शन के उद्देश्य से अपने देशों में सांस्कृतिक विनिमय त्योहारों के समता के आधार पर आयोजन का स्वागत किया है।

37. दोनों पक्षों ने भारत और रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में संयुक्त फिल्म निर्माण और पारस्परिक भागीदारी के विकास सहित फिल्म उद्योग में सहयोग के विस्तार के विचार का समर्थन किया।

38. दोनों पक्षों ने रूस और भारत के बीच पर्यटक आदान-प्रदान में निरंतर वृद्धि की सराहना की और दोनों देशों द्वारा ई-वीजा शुरू करने सहित वीजा औपचारिकताओं के सरलीकरण का स्वागत किया। वे भविष्य में वीजा व्यवस्था के और सरलीकरण पर काम जारी रखने पर सहमत हुए।

39. दोनों पक्षों ने भारत और रूस के विशेषज्ञों, थिंक-टैंक और संस्थानों के बीच बढ़ते आदान-प्रदान और संपर्कों की सराहना की है। वर्षों से, संवाद के इस ट्रैक ने भारतीय और रूसी रणनीतिक और नीति निर्माण हलकों और व्यवसायों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा दिया है ताकि रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।

40. शिक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत सहयोग को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने छात्रों का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की और विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।

<u>संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग</u>

41. दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में मुद्दों पर उनके बीच राजनीतिक संवाद और सहयोग के उच्च स्तर पर ध्यान दिया और इसे और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई केंद्रीय समन्वय भूमिका के साथ बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की प्रधानता को भी रेखांकित किया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया है।

42. दोनों पक्षों ने समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों से निपटने में इसे अधिक प्रतिनिधि, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार करने में सहमति दी है। रूस ने एक संवर्धित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है।

43. दोनों पक्षों ने जी-20 प्रारूप के भीतर अपने सहयोग को रेखांकित किया है और इसे तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता की महत्वपूर्ण व्यावहारिक विरासत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए मुख्य मंच के एजेंडे में ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं का समेकन था, साथ ही फोरम के पूर्ण सदस्यों की रैंकों में अफ्रीकी संघ का प्रवेश भी था। उन्होंने भारत की अध्यक्षता के तहत वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के वर्चुअल शिखर सम्मेलनों के आयोजन का स्वागत किया, जिससे वैश्विक मामलों में विकासशील देशों की स्थिति को मजबूत करने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण संकेत गया।

44. उन्होंने जोर देकर कहा कि जी20 एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच है जो समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी स्तर पर उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं के संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने आम सहमति के आधार पर और इसके प्रमुख जनादेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी20 के निरंतर और उत्पादक कामकाज के महत्व को पहचाना है।

45. दोनों पक्षों ने अपनी ब्रिक्स साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया और राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग के तीन स्तंभों के तहत विस्तारित ब्रिक्स में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। उन्होंने आपसी सम्मान और समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलापन, समावेशिता, सहयोग और आम सहमति की

ब्रिक्स भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। रूस ने 2026 में भारत की आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया था।

46. दोनों पक्षों ने रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ढांचे के भीतर अपने संयुक्त कार्य के महत्व को दोहराया है।

47. भारत ने रूसी संघ के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 17-18 नवंबर 2025 को मॉस्को में सरकारी प्रमुखों की एससीओ परिषद की सफल मेजबानी के लिए रूसी पक्ष की सराहना की है। रूसी पक्ष ने एससीओ सभ्यता संवाद मंच की स्थापना के लिए भारत की पहल की सराहना की, जिसका उद्घाटन सत्र 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा।

48. दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विविधता पर आधारित प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन में एससीओ की बढ़ती भूमिका पर ध्यान दिया।

49. दोनों पक्षों ने राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय संबंधों के क्षेत्रों में एससीओ की क्षमता और सहयोग को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस संदर्भ में, दोनों पक्षों ने एससीओ के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने , विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार संगठित अपराध और सूचना सुरक्षा खतरों से निपटने के क्षेत्रों की आवश्यकता पर बल दिया। वे ताशकंद में सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए सार्वभौमिक केंद्र और दुशांबे में मादक पदार्थों के खिलाफ केंद्र की स्थापना पर विशेष ध्यान देंगे।

50. दोनों पक्षों ने जी20, ब्रिक्स और एससीओ के भीतर प्रमुख मुद्दों, जैसे कि सुधारित बहुपक्षवाद की दिशा में प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शासन संस्थानों और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार, सतत विकास लक्ष्यों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में प्राप्त करने में योगदान देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, स्थिरता बढ़ाना और महत्वपूर्ण खनिजों सहित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता का विकास करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार मानदंडों का अनुपालन और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

51. दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (यूएन सीओपीयूओएस) के भीतर सहयोग को और मजबूत करने का इरादा रखते हैं, जिसमें बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के मुद्दे भी शामिल हैं।

52. दोनों पक्षों ने सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार के लिए वैश्विक प्रयासों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपसी विश्वास के स्तर को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से आग्रह किया। दोनों पक्षों ने निर्यात नियंत्रणों के अप्रसार स्वरूप पर जोर दिया और सुरक्षा और वाणिज्यिक पहलुओं के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के अपने इरादे को दोहराया।

53. दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को गहरा करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के भीतर सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस शामिल हैं।

54. पक्षकार जीवाणु संबंधी(जैविक) और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण और उनके विनाश पर प्रतिबंध संबंधी सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी) का कड़ाई से अनुपालन और निरंतर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिसमें इसके संस्थागतकरण के माध्यम भी शामिल है,

केसाथ एक प्रभावी सत्यापन तंत्र के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल को अपनाना भी शामिल है। वे बीटीडब्ल्यूसी के कार्यों की नकल करने वाले किसी भी तंत्र की स्थापना का विरोध करते हैं।

55. दोनों पक्ष अंतरिक्ष में शस्त्रों की होड़ की रोकथाम के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी करार पर बातचीत शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें बाह्यअंतरिक्ष में शस्त्रों की तैनाती और अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से या अंतरिक्ष के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी पर रोक शामिल है। दोनों पक्ष इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऐसे दस्तावेज़ का आधार अंतरिक्ष में शस्त्रों की तैनाती और अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी की रोकथाम संबंधी संधि का मसौदा और साथ ही 2024 में अपनाई गई संबंधित सरकारी विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट हो सकती है।

56. नेताओं ने उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जो जैविक विविधता के संरक्षण और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों में परिलक्षित होते हैं, जो हमारे देशों को एकजुट करती हैं।

57. दोनों पक्षों ने रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क करार को अपनाने का स्वागत किया। भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में रूस के शीघ्र शामिल होने की आशा व्यक्त की।

58. दोनों पक्ष वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करने, विकासशील देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने और आर्थिक शासन के अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विशेष रूप से बहुपक्षीय विकास बैंकों में उचित सुधार सुनिश्चित करने पर सहमत हुए।

<u>आतंकवाद से निपटना</u>

59. दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आम चुनौतियों और खतरों से निपटने के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

60. दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में और 22 मार्च, 2024 को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों को आपराधिक और अनुचित बताया, चाहे वे किसी भी धार्मिक या वैचारिक बहाने से प्रेरित हों, चाहे वे कभी भी, कहीं भी और किसी के द्वारा भी किए गए हों। उन्होंने अल कायदा, आईएसआईएस/दाएश और उनके सहयोगियों सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादी समूहों और संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंकना, आतंकवादी विचारधारा के प्रसार का मुकाबला करना, आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से उनके संबंधों को समाप्त करना और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों सहित आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकना है।

61. दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई का आह्वान किया, और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ठोस आधार पर, बिना किसी छिपे एजेंडे और दोहरे मापदंड के, इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त , उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रासंगिक प्रस्तावों के दृढ़ कार्यान्वयन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति के संतुलित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

62. दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने में राज्यों और उनके सक्षम अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाने और संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने के साथ-साथ आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया।

63. दोनों पक्षों ने भारत की अध्यक्षता में अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-विरोधी समिति (सीटीसी) की विशेष बैठक को याद किया और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर सर्वसम्मति से अपनाई गई दिल्ली घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैसे भुगतान प्रौद्योगिकियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और धन जुटाने के तरीकों तथा मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी या ड्रोन) के दुरुपयोग से संबंधित मुख्य चिंताओं को शामिल करना है। दोनों पक्षों ने ऑनलाइनस्पेस में कट्टरता को रोकने और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में और सहयोग विकसित करने की तत्परता व्यक्त की। इस संबंध में, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी संघ और ब्रिक्स संगठनों के भीतर प्रासंगिक तंत्रों को मजबूत करने की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

<u>**क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे**</u>

64. दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और रूस के बीच घनिष्ठ समन्वय की सराहना की, जिसमें दोनों देशों की सुरक्षा परिषदों के बीच संवाद तंत्र के माध्यम से किया गया समन्वय भी शामिल है। उन्होंने मॉस्को प्रारूप की बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

65. नेताओं ने आईएसआईएस और आईएसकेपी तथा उनके सहयोगी संगठनों सहित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी उपायों का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई व्यापक और प्रभावी होगी। उन्होंने अफगान जनता को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

66. दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जिनसे स्थिति और बिगड़ सकती है और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ईरान के परमाणु मुद्दे को संवाद के माध्यम से हल करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संघर्ष की समाप्ति, मानवीय सहायता और स्थायी शांति के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच हुए करारों और समझ के प्रति प्रतिबद्ध रहने के महत्व पर जोर दिया।

67. दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएफसीसीसी) और पेरिस करार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन विकास के मुद्दों पर समझौता ज्ञापन के तहत 10

सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन विकास के मुद्दों पर रूस-भारत संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पेरिस करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वियन तंत्र, निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के विकास और सतत वित्त साधनों के उपयोग पर द्विपक्षीय संवाद को तेज करने पर सहमति व्यक्त की।

68. दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन के प्रमुख मुद्दों पर जी20, ब्रिक्स और एससीओ के भीतर संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ब्रिक्स संपर्क समूह के समन्वित कार्य से प्राप्त परिणामों का स्वागत किया, जिसमें ब्रिक्स जलवायु अनुसंधान मंच और व्यापार, जलवायु और सतत विकास के लिए ब्रिक्स प्रयोगशाला का शुभारंभ शामिल है। दोनों पक्षों ने 2026 में ब्रिक्स की भारत अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में सार्थक सहयोग को प्रोत्साहित किया।

69. दोनों पक्षों ने भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी कीअनुकूलताऔर अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं के अभिसारी एवं पूरक दृष्टिकोणों पर संतोष व्यक्त किया और इसे और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत और रूस प्रमुख शक्तियों के रूप में बहुध्रुवीय विश्व के साथ-साथ बहुध्रुवीय एशिया में वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

70. महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को दिए गए उदार आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 2026 में रूस आने का निमंत्रण दिया।

नई दिल्ली

दिसंबर 5, 2025

परिणामों की सूची: रूस के राष्ट्रपति द्वारा भारत का राजकीय दौरा (04 – 05 दिसंबर, 2025)

समझौता ज्ञापन और करार

क्रम सं	परिणाम दस्तावेज़	विवरण
	प्रवासन और आवाजाही	
1.	भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच एक देश के नागरिकों द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि के संबंध में करार।	ये करार भारत से रूस में कुशल कामगारों की आवाजाही के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं और दोनों देशों के बीच सुरक्षित औरइनका लक्ष्य परस्पर लाभकारी आवाजाही को बढ़ावा है।
2.	भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच अवैध प्रवासन से निपटने में सहयोग संबंधी करार ।	
	स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा	
3.	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधीकरार।	इस दस्तावेज़ में जानकारी और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख, चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग की बात की गई है।
4.	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और मानव कल्याण (रूसी संघ) पर निगरानी के लिए संघीय सेवा के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में करार	इस करार का उद्देश्यखाद्य उत्पादों की स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी अपेक्षाओं की गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है।
	समुद्री सहयोग और ध्रुवीय जलक्षेत्र	
5.	भारत गणराज्य की सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच ध्रुवीय जलक्षेत्रों में कार्य करने वाले पोतों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के विषय में	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली रूसी एजेंसियों द्वारा तैयार और सुविधा प्रदान किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से ध्रुवीय जलक्षेत्रोंमें भारतीय

	समझौता ज्ञापन।	समुद्री नाविकों के प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना है।
6.	भारत गणराज्य के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के समुद्री बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन।	इस समझौता ज्ञापन में पोत, पत्तन, संयुक्त खनिज अन्वेषण, अनुसंधान और विकास जैसे समुद्री क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
	उर्वरक	
7.	मेसर्स जेएससी उरालचेम और मेसर्स राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड तथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन ।	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा रूस में यूरिया विनिर्माण में एक संयुक्त उद्यम के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।
	सीमा शुल्क और वाणिज्य	
8.	भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच माल और वाहनों के संबंध में आगमन पूर्व सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और संघीय सीमा शुल्क सेवा (रूसी संघ) के बीच प्रोटोकॉल	यह दस्तावेज़ सीमा शुल्क नियंत्रण की प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने के लिए सीमा शुल्क संचालन की जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
9.	भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय के डाक विभाग और जेएससी (रूसी डाक) के बीच द्विपक्षीय करार	यह द्विपक्षीय करार भारत और रूस के बीच विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सीमा पार डाक सहयोग को मजबूत करने और बढ़ते ई-कॉमर्स का समर्थन करने का प्रयास करता है।
	शैक्षणिक सहयोग	
10.	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे और फेडरल स्टेट ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन "नेशनल टॉमस्क स्टेट यूनिवर्सिटी", टॉमस्क के बीच वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन।	यह समझौता ज्ञापन छात्र आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यक्रमों के विकास, सूचना के आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सहयोग को विकसित और प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।
11.	मुंबई विश्वविद्यालय, लोमोनोसोव मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेजमेंट कंपनी के बीच	यह करार भारत-रूस शैक्षणिक उद्योग सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों और पेशेवरों के शिक्षा प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान

	सहयोग के संबंध में करार ।	करता है।
	मीडिया सहयोग	
12.	प्रसार भारती, भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम-मीडिया होल्डिंग, रूसी संघ के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	ये समझौता ज्ञापन प्रसार भारती और रूसी मीडिया संगठनों के बीच हैं और प्रसारण, सामग्री साझा करने और सूचना आदान-प्रदान के क्षेत्र में व्यापक सहयोग प्रदान करते हैं।
13.	प्रसार भारती, भारत और राष्ट्रीय मीडिया समूह, रूस के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	
14.	प्रसार भारती, भारत और बिग एशिया मीडिया समूह के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	
15.	प्रसार भारती, भारत और एएनओ "टीवी-नोवोस्ती"के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का परिशिष्ट	
16.	"टीवी ब्रिक्स"संयुक्त स्टॉक कंपनी और "प्रसार भारती (पीबी)"के बीच समझौता ज्ञापन।	

घोषणाएं

1) 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम।

2) रूसी पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में शामिल होने के लिए रूपरेखा करार को अपनाने का फैसला किया है।

3) राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी (नई दिल्ली, भारत) तथा त्सरित्स्नो राज्य ऐतिहासिक, वास्तुकला, कला और लैंडस्केप म्यूज़ियम-रिजर्व (मॉस्को, रूस) के बीच"भारत। फैब्रिक ऑफ टाइम"प्रदर्शनी के लिए करार।

4) पारस्परिक आधार पर रूसी नागरिकों को निःशुल्क 30 दिनों का ई-पर्यटक वीजा प्रदान करना।

5) रूसी नागरिकों को निःशुल्क समूह पर्यटक वीजा प्रदान करना।

नई दिल्ली

दिसंबर 5, 2025

*****